भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4266** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

प्रयागराज से हल्दिया पोर्ट तक जलमार्ग

4266. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निषाद समुदाय के उन लाखों लोगों को स्थायी नौकरी देने का है जिनकी आजीविका गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया पत्तन तक बनाए जा रहे जलमार्गों के कारण खतरे में है;

(ख) क्या सरकार इस जलमार्ग के निर्माण के कारण अपनी नौकरी गंवा रहे प्रत्येक परिवार के किसी एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) इस जलमार्ग के कारण प्रयागराज से हल्दिया, कोलकाता तक प्रभावित होने वाली आबादी का शहर - वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस जलमार्ग से प्रभावित हो रहे लोगों की समस्या को सुनने के लिए अब तक कोई कार्यशाला आयोजित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस कार्य के लिए स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (च): वर्ष 1986 में हल्दिया और प्रयागराज के बीच गंगा- भागीरथी- हुगली नदी प्रणाली (1620 कि.मी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) के रूप में घोषित किया गया था। रा.ज.-1 (हल्दिया से वाराणसी तक 1390 कि.मी. जलखंड) की क्षमता को बढ़ाने के लिए, 3 जनवरी, 2018 को आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) को 5369.18 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था। तब से, जेएमवीपी के तहत, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग

प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, ने इसकी नौगम्यता में सुधार करने के लिए तथा नौचालन सहायताओं और टर्मिनल सुविधाओं जैसी अन्य अवसंरचना के विकास और रख-रखाव के लिए भी जलमार्ग पर विभिन्न विकासात्मक कार्य शुरू किया है। जेएमवीपी के पास 1.3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करने की क्षमता है। पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ईएसआईए) से संबंधित विस्तृत अध्ययन किया गया है और अध्ययन के अनुसार, परियोजना का किसी भी समुदाय की आजीविका पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

आईडब्ल्यूएआई द्वारा जलमार्ग विकास परियोजना -।। (जेएमवीपी-।।) के तहत, क्रॉस फेरी आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए, 60 सामुदायिक जेट्टियों का विकास किया गया है। इनमें से 49 सामुदायिक जेट्टियां पहले से ही पूरी हो चुकी है। ये सामुदायिक जेट्टियां रा.ज.-1 के किनारे रहने वाले छोटे किसानों, मत्स्य इकाइयों, असंगठित कृषि उत्पादन इकाइयों, बागवानों, फूल विक्रेताओं और कारीगरों तथा अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सरल रसद समाधान प्रदान करते हैं। ये जेट्टियां रा.ज.-1 तक पहुंच और इसकी उपयोगिता को, विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्ध- शहरी समुदायों के लिए बढ़ाते है। इन जेट्टियों का उद्देश्य लोगों, सामग्रियों और सेवाओं की आवाजाही को पर्यावरण अनुकूल और किफायती तरीके से सुविधाजनक बनाना है। जेएमवीपी के तहत, रा.ज.-1 पर अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्लयूटी) को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को नियुक्त करने, आजीविका संबंधी सहायता एवं संचार के लिए परामर्श सेवाएं शुरू की गई हैं। आईडब्ल्यूटी अवसंरचना के उपयोग के साथ आजीविका संवर्धन तथा एक वैकल्पिक और परिवहन के किफायती साधन के रूप में जलमार्ग का उपयोग करने के संबंध में शिक्षित करने के लिए, रा.ज.-1 के साथ जिला स्तर पर 75 से अधिक सामुदायिक बैठकें आयोजित की गई हैं।

*****